

25-3-19




वकुल.ए.फ.टी.उप. पी.ओ.सा.दीगर प्रशा. कार्यो  
व्यस्त/.....


पधारे हैं। मिसल वास्ते नियत कार्यवाही हेतु पी.ओ.  
समक्ष दिनांक 02-4-19 को पेश हों।

अपुर्ण सं: 17 के जोरिमान के मोर से  
दि. 19-3-19 को पुनपत्र वाले प्रेने रिफाई  
पर अपुर्ण सं: 17 के जोरिमान को  
अन्तर्गत कोरेडा 22 नियम 4, नियम 10  
सर्पठित धारा 151 जा.सी. व कोरेने विटो  
एतरान अन्तर्गत धारा 151 जा.सी.केषा  
हुता / b

28-03-19



आ.न.उ.नी



आ.न.उ.नी

देवी

श्रीमान श्री  
के जोरिमान के  
पदवाले हों

U.S.P.

वकील आशी शरा वृत्त वार के प्रसुत प्रान्त  
वास्ते मलकी पत्रावली पर वृत्त वार के साथ यह  
पत्रावली आज तलब ली गई। वकील आशी ने  
पुनपत्र अन्तर्गत कोरेडा 23 नियम 1 सर्पठित धारा  
151 जा.सी. प्रसुत कर कचन किए कि उनके मध्य  
सुनहनामा होने से आशीगण यह पुनपत्र पी.ओ.  
विटो करना चाहते हैं। इसी प्रकार अपुर्ण सं: 15 व  
16 ने भी पुनपत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.सी. इसी  
आशय का प्रसुत किया। प्रसुत दोनों पुनपत्र  
उपस्थित आशीगण व अपुर्ण सं: 15 व 16 को पढकर  
सुनाया व समझाया गया। वार समझे, उपस्थित  
पक्षकारान ने शर्तीनामा स्वीकार करते हुए पुनपत्र पी.  
विटो पर सहमति जोड़ने की। उक्त आशय के इस्तारार  
उपस्थित पक्षकारान से करवाए गए जिनकी पहनाच  
इन्के वकीलवज्जागण ने संचित की। पत्रावली व पुनपत्र  
के अठोकोकन पर्याप्त पुनपत्र स्वीकार किये जाते हैं  
यह वृत्त पु.पत्र पी.ओ. इसी स्तर पर खोरिना  
किया जाता है। विस्तृत कोरेडा प्रचक्र से टारिफ करवाकर  
वृत्त वार के शामिल मिसर किया गया। पत्रावली के साथ  
सुमार होकर नम्बर से कम हो।

पु.ओ.  
विटो

पु.ओ.  
विटो

शु  
उ.प.  
वि.  
वि.

(जसगीतसिंह संधू)  
उपस्थण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर  
ब्यावर

